

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI  
ORIGINAL APPLICATION NO. 832/2024  
(IA No. 317/2024)**

**IN THE MATTER OF:**

**AKASH VASHISHTHA**

.....APPLICANT(s)

**VERSUS**

**STATE OF UTTAR PRADESH & OTHERS**

.....RESPONDENT(s)

**INDEX**

S.No.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	<b>AFFIDAVIT ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 9 IN COMPLIANCE OF THE ORDER DT. 21.10.2024 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL</b>	
	<b>ANNEXURES</b>	
2.	<b>COPY OF LETTER DT. 17.10.2024 ATTACHED HEREWITH AS ANNEXURE A-1</b>	
3.	<b>COPY OF LETTER DT. 24.10.2024 ATTACHED HEREWITH AS ANNEXURE A-2</b>	
4.	<b>COPY OF LETTER DT. 26.06.2024 HAS BEEN ATTACHED HEREWITH AS ANNEXURE A-3</b>	

THROUGH



BHANWAR PAL SINGH JADON

COUNSEL FOR UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

EMAIL- [bhanwar09jadon@gmail.com](mailto:bhanwar09jadon@gmail.com)

**DATE: 04.02.2025**

**PLACE: NOIDA**

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI  
ORIGINAL APPLICATION NO. 832/2024  
(IA No. 317/2024)**



**IN THE MATTER OF:**

**AKASH VASHISHTHA**

.....APPLICANT(s)

**VERSUS**


**STATE OF UTTAR PRADESH & OTHERS**

.....RESPONDENT(s)

**AFFIDAVIT ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 9 IN COMPLIANCE  
OF THE ORDER DT. 21.10.2024 PASSED BY THE HON'BLE  
NATIONAL GREEN TRIBUNAL**

I, Vikas Mishra, aged about 45 years, S/o Shri G.S. Mishra, posted as Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board, presently at Ghaziabad, do hereby solemnly affirm and state as under:

1. That I, the Deponent in the above captioned matter am fully conversant with the facts of the case and am competent and authorized to swear the present affidavit.
2. That I state that the contents of the affidavit have been drafted by my counsel on my instructions and the contents of the same are true to my knowledge and nothing material has been concealed therefrom.
3. That in the present matter, the applicant has raised allegation against the large scale, excessive and indiscriminate concretization of



04 FEB 2025

roadsides/roadberms and constructions in parks in Ghaziabad. The plea of the applicant is that such concretization is being carried out in violation of the order of the Tribunal in OA No. 165/2013 in the case of *Akash Vashishtha Vs. Union of India & Ors.*, the Government Order dated 23.03.2018 issued by the State of Uttar Pradesh and the (Office Memorandum No. 5 — DDR/VIP/2000 —DDVI), dated: 21.07.2000 issued by the Ministry of Urban Development and Poverty Alleviation.

4. That with respect to the aforementioned grievances of the Applicant, the Uttar Pradesh Pollution Control Board had issued a letter dt. 17.10.2024 to the Ghaziabad Development Authority (GDA) and the Municipal Commissioner, Ghaziabad, informing them that the Applicant has filed site photographs alongwith the original application and asking them to take action regarding the same and to ensure that no construction activities are being carried out at the parks in question which are not permissible under the law and not in compliance with the rules of the National Green Tribunal, as well as not in accordance with the Lay-out Plan of the Park as approved by the GDA.

A Copy of the letter dt. 17.10.2024 has been attached herewith as **ANNEXURE A-1.**

5. That in reference to the letter received from the Applicant and the letters dt. 26.06.2024, 15.10.2024 and 17.10.2024 issued by the Deponent to the Municipal Commissioner, Municipal Corporation, Ghaziabad and Ghaziabad Development Authority to take appropriate actions, a letter dt. 24.01.2025 was issued by the Deponent to the Municipal Commissioner, Municipal Corporation, Ghaziabad and Secretary, Ghaziabad Development Authority to direct the concerned officers of their departments to take necessary action with respect to the same.



04 FEB 2025

A Copy of the letter dt. 24.01.2025 has been attached herewith as **ANNEXURE A-2.**

6. Furthermore, a letter dt. 26.06.2024 was issued by the Deponent to the Secretary, Ghaziabad Development Authority to direct their concerned officials to take action with respect to the construction activity in the park in question.

A Copy of the letter dt. 26.06.2024 has been annexed herewith as **ANNEXURE A-3.**

7. That in light of the above, necessary steps are being undertaken by the Deponent in strict adherence to the directions issued by the Hon'ble Tribunal.
8. Hence the present affidavit is being submitted for the kind perusal of this Hon'ble Tribunal. It is prayed that the same be taken on record.
9. That I state that everything stated above has been stated by me in my official capacity on and derived from the official records and I state that nothing material has been concealed therefrom.

  
**DEPONENT**



04 FEB 2025

**VERIFICATION**

Verified at Ghaziabad on this 04 day of February, 2025, that the contents of the above affidavit from paragraphs 1 to 9 are believed to be true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

**DEPONENT****ATTESTED**

(Sandeep Sharma)  
Reg. No. 113E/98  
NOTARY PUBLIC  
Ghaziabad (U.P.)

**04 FEB 2025**



क्षेत्रीय कार्यालय-उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद  
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad  
Website- www.uppcb.com, e-mail:roghaziabad@uppcb.in

संदर्भ संख्या : 1720/NGT-225/2024

दिनांक 17/10/2024

महत्वपूर्ण/पंजीकृत

सेवा में,

1. नगर आयुक्त महोदय, नगर निगम, गाजियाबाद।
2. सचिव, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।

**विषय:** मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० संख्या 832/2024 (आई०ए० संख्या 317/2024) आकाश वशिष्ठ बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 29.07.2024 के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० संख्या 832/2024 (आई०ए० संख्या 317/2024) आकाश वशिष्ठ बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 29.07.2024 के अनुक्रम में इस कार्यालय के पत्र संख्या 1694/एनजीटी-225/2024 दिनांक 15.10.2024, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अवगत कराना है कि याचिकाकर्ता द्वारा गाजियाबाद के क्षेत्रान्तर्गत स्थित विभिन्न पार्कों/स्थलों (संलग्नक-ए-1) के फोटोग्राफ संलग्नक कर प्रेषित किया गया है तथा उ०प्र० शासन के शासनादेश दिनांक 23.03.2018 एवं शहरी विकास और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय के ऑफिस मेमोरेन्डम दिनांक 21.07.2000 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के विरुद्ध सड़क के किनारे (Road Sides/Roadberms) व पार्कों में कंक्रीटीकरण (Concretization) किये जाने सम्बन्धी याचिका दाखिल की गयी है। अग्रेतर उल्लेखनीय है कि याचिकाकर्ता श्री आकाश वशिष्ठ, आर-7/17, राजनगर, गाजियाबाद के पूर्व में प्राप्त दिनांक रहित पत्र के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी के पत्रांक 627/सा०पत्रा०-74/2024 दिनांक 26.06.2024 (छायाप्रति संलग्न) के माध्यम से संदर्भित प्रकरण पर आवश्यक कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया है।

अतः तत्कम मे आपसे पुनः अनुरोध है कि उक्त प्रकरण पर आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें, जिससे की मा० अधिकरण द्वारा पारित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित हो सके। उक्त प्रकरण मे सुनवाई हेतु दिनांक 21.10.2024 को पुनः सूचीबद्ध किया गया है।

भवदीय

(विकास मिश्र)  
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।



ATTESTED

(Sandeep Sharma)  
Reg. No. 1138/98  
NOTARY PUBLIC  
Ghaziabad (U.P.)

04 FEB 2025

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय : आई०ए०ए०एस०-2, सेक्टर-16, वसुन्धरा, गाजियाबाद-201012 फोन-0120-4160108  
मुख्यालय : TC-12V, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ 226010



क्षेत्रीय कार्यालय-उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद  
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad  
Website- [www.uppcb.com](http://www.uppcb.com), e-mail: [roghaziabad@uppcb.in](mailto:roghaziabad@uppcb.in)

संदर्भ संख्या : 2413...../एनजीटी-225/2025

दिनांक 24/01/2025

सेवा में,

मा० एनजीटी प्रकरण/महत्वपूर्ण

1. नगर आयुक्त महोदय,  
नगर निगम,  
गाजियाबाद।
2. सचिव,  
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,  
गाजियाबाद।

विषय: मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० संख्या 832/2024 (आई०ए० संख्या 317/2024) आकाश वशिष्ठ बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.10.2024 के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० संख्या 832/2024 (आई०ए० संख्या 317/2024) आकाश वशिष्ठ बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.10.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। मा० अधिकरण द्वारा दिनांक 21.10.2024 को पारित आदेश के मुख्य अंश निम्नवत है:-

"...5. Learned Counsel for the respondents represented today seeks four week time to file the reply. Thereafter it will be open for the applicant to file a rejoinder, if any, within two weeks.

6. List on 05.02.2025."

अवगत कराना है कि याचिकाकर्ता द्वारा गाजियाबाद के क्षेत्रान्तर्गत स्थित विभिन्न पार्कों/स्थलों (संलग्नक ए-1) के फोटोग्राफ संलग्नक कर प्रेषित किया गया है तथा उ०प्र० शासन के शासनादेश दिनांक 23.03.2018 एवं भाहरी विकास और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय के ऑफिस मेमोरेन्डम दिनांक 21.07.2000 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के विरुद्ध सड़क के किनारे (Road Sides/Roadberms) व पार्कों में कंक्रीटीकरण (Concretization) किये जाने सम्बन्धी याचिका दाखिल की गयी है। अग्रेतर उल्लेखनीय है कि याचिकाकर्ता श्री आकाश वशिष्ठ, आर-7/17, राजनगर, गाजियाबाद के पूर्व में प्राप्त दिनांक रहित पत्र के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी के पत्रांक 627/सा०पत्रा०-74/2024 दिनांक 26.06.2024 (छायाप्रति संलग्न) के माध्यम से संदर्भित प्रकरण पर आवश्यक कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया था। मा० अधिकरण द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में कार्यालय के पत्रांक 1694/एनजीटी-225/2024 दिनांक 15.10.2024 एवं 1790/एनजीटी-225/2024 दिनांक 17.10.2024 द्वारा पत्र प्रेषित किये गये हैं, छायाप्रतियाँ संलग्न हैं।

अतः तत्कम में आपसे पुनः अनुरोध है कि उक्त प्रकरण पर आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें, जिससे की मा० अधिकरण द्वारा पारित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित हो सके।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(विकास मिश्र)  
क्षेत्रीय अधिकारी  
olc

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय : आई०ए०एस०-2, सेक्टर-16, वसुन्धरा, गाजियाबाद-201012 फोन-0120-4160108  
मुख्यालय : TC-12V, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ 226010

Letter\_2023\_24\_Sunil\_RO SIR



(Sandeep Sharma)  
Reg. No. 113E/88  
NOTARY PUBLIC  
Ghaziabad (U.P.)

04 FEB 2025



Annexure-A-15  
 क्षेत्रीय कार्यालय-30180 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद  
 Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad  
 Website- [www.uppcb.com](http://www.uppcb.com), e-mail: [rog hazlabad@uppcb.in](mailto:rog hazlabad@uppcb.in)

संदर्भ संख्या : 627/1740/24/2024

दिनांक 20/08/2024

सेवा में,

सचिव,  
 गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,  
 गाजियाबाद।

विषय: शुक्ला पार्क सेक्टर-10, राजनगर, गाजियाबाद में अवैध निर्माण सम्यन्धी शिकायत के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक श्री आकाश वशिष्ठ, आर-7/17, राजनगर, गाजियाबाद द्वारा प्रेषित शिकायती पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें (छायाप्रति संलग्न)। उक्त पत्र के माध्यम से शिकायतकर्ता द्वारा शुक्ला पार्क सेक्टर-10, राजनगर, गाजियाबाद में श्री प्रवीण चौधरी, वार्ड संख्या 84, गाजियाबाद द्वारा उक्त पार्क में अवैध निर्माण करते हुये कवर्ड योगा शेड बनाये जाने का उल्लेख किया गया है।

उक्त शिकायती पत्र संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित किया जा रहा है कि प्रश्नगत पार्क में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद द्वारा स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(विकास मिश्र)  
 क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:-

नगर आयुक्त महोदय, नगर निगम, गाजियाबाद को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी  
 6/10



क्षेत्रीय कार्यालय-उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद  
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad  
Website- www.uppcb.gov.nic.in, e-mail:-roghaziabad@uppcb.in

संदर्भ संख्या : ...1594.../167-225/2024

दिनांक ...15/10/2024.

सेवा मे,

नगर आयुक्त महोदय,  
नगर निगम,  
गाजियाबाद।

**विषय:** मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० संख्या 832/2024 (आई०ए० संख्या 317/2024) आकाश वशिष्ठ बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एवं अन्य मे पारित आदेश दिनांक 29.07.2024 के सम्बन्ध मे।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० संख्या 832/2024 (आई०ए० संख्या 317/2024) आकाश वशिष्ठ बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एवं अन्य मे पारित आदेश दिनांक 29.07.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अवगत कराना है कि याचिकाकर्ता द्वारा गाजियाबाद के क्षेत्रान्तर्गत सड़क के किनारों (Road sides/Roadberms) एवं पार्को मे कंक्रीटीकरण (Concretization) किये जाने के विरुद्ध याचिका मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली दाखिल की गयी है। अग्रेतर उल्लेखनीय है कि याचिकाकर्ता श्री आकाश वशिष्ठ, आर-7/17, राजनगर, गाजियाबाद के पत्र दिनांक शून्य के परिप्रेक्ष्य मे अद्योहस्ताक्षरी के पत्रांक 627/सा०पत्रा०-74/2024 दिनांक 26.06.2024 (छायाप्रति संलग्न) के माध्यम से संदर्भित प्रकरण पर आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

अतः तत्कम मे आपसे अनुरोध है कि उक्त प्रकरण पर आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें, जिससे की मा० अधिकरण द्वारा पारित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित हो सके। उक्त प्रकरण मे सुनवाई हेतु दिनांक 21.10.2024 को पुनः सूचीबद्ध किया गया है।

संलग्नक:उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(विकास मिश्र)  
क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय : आई०एन०एस०-2, सेक्टर-16, वसुन्धरा, गाजियाबाद-201012 फोन-0120-4160108  
मुख्यालय : TC-12V, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ 226010

क्षेत्रीय कार्यालय-उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद  
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad  
Website- [www.uppcb.com](http://www.uppcb.com), e-mail: [roghaziabad@uppcb.in](mailto:roghaziabad@uppcb.in)

संख्या : 1720/NGT-225/2024

दिनांक 17/10/2024

महत्वपूर्ण/पंजीकृत

सेवा में,

1. नगर आयुक्त महोदय, नगर निगम, गाजियाबाद।
2. सचिव, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।

विषय: मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० संख्या 832/2024 (आई०ए० संख्या 317/2024) आकाश वशिष्ठ बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 29.07.2024 के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० संख्या 832/2024 (आई०ए० संख्या 317/2024) आकाश वशिष्ठ बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 29.07.2024 के अनुक्रम में इस कार्यालय के पत्र संख्या 1694/एनजीटी-225/2024 दिनांक 15.10.2024, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अवगत कराना है कि याचिकाकर्ता द्वारा गाजियाबाद के क्षेत्रान्तर्गत स्थित विभिन्न पार्को/स्थलों (संलग्नक-ए-1) के फोटोग्राफ संलग्नक कर प्रेषित किया गया है तथा उ०प्र० शासन के शासनादेश दिनांक 23.03.2018 एवं शहरी विकास और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय के ऑफिस मेंमोरेन्डम दिनांक 21.07.2000 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के विरुद्ध सड़क के किनारे (Road Sides/Roadberms) व पार्को में कंक्रीटीकरण (Concretization) किये जाने सम्बन्धी याचिका दाखिल की गयी है। अग्रतर उल्लेखनीय है कि याचिकाकर्ता श्री आकाश वशिष्ठ, आर-7/17, राजनगर, गाजियाबाद के पूर्व में प्राप्त दिनांक रहित पत्र के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी के पत्रांक 627/सा०पत्रा०-74/2024 दिनांक 26.06.2024 (छायाप्रति संलग्न) के माध्यम से संदर्भित प्रकरण पर आवश्यक कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया है।

में  
श  
की

अतः तत्कम मे आपसे पुनः अनुरोध है कि उक्त प्रकरण पर आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें, जिससे की मा० अधिकरण द्वारा पारित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित हो सके। उक्त प्रकरण मे सुनवाई हेतु दिनांक 21.10.2024 को पुनः सूचीबद्ध किया गया है।

भवदीय

(विकास मिश्र)  
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी



180  
 क्षेत्रीय कार्यालय-उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद  
 Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad  
 Website- [www.uppcb.com](http://www.uppcb.com), e-mail: roghaziabad@uppcb.in

Annexure A-3

संदर्भ संख्या : 627/124/24/2024

दिनांक 24/02/2024

सेवा में,

सचिव,

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,

गाजियाबाद।

विषय: शुक्ला पार्क सेक्टर-10, राजनगर, गाजियाबाद में अवैध निर्माण सम्बन्धी शिकायत के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक श्री आकाश वशिष्ठ, आर-7/17, राजनगर, गाजियाबाद द्वारा प्रेषित शिकायती पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें (छायाप्रति संलग्न)। उक्त पत्र के माध्यम से शिकायतकर्ता द्वारा शुक्ला पार्क सेक्टर-10, राजनगर, गाजियाबाद में श्री प्रवीण चौधरी, वार्ड संख्या 84, गाजियाबाद द्वारा उक्त पार्क में अवैध निर्माण करते हुये कवर्ड योगा शेड बनाये जाने का उल्लेख किया गया है।

उक्त शिकायती पत्र संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित किया जा रहा है कि प्रश्नगत पार्क में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद द्वारा स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(विकास मिश्र)  
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:-

नगर आयुक्त महोदय, नगर निगम, गाजियाबाद को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

ATTESTED

(Sandeep Sharma)  
Reg. No. 1136/98  
NOTARY PUBLIC  
Chaziabad (U.P.)क्षेत्रीय अधिकारी  
6/10

04 FEB 2025

क्षेत्रीय कार्यालय : आई०एन०एस०-2, सेक्टर-18, वसुन्धरा, गाजियाबाद-201012 फोन-0120-4160108  
 मुख्यालय : TC-12V, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ 226010